संख्याः 1762/VII-2-09/100–उद्योग/03

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ/चमोली/उत्तरकाशी,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 31 जुलाई 2009

विषयः वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु जिला योजना "कार्डिंग/वीविंग प्लान्टों का सुदृढ़ीकरण" में धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त, विभाग के शासनादेश संख्या 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ट्राइबल सब प्लान के अधीन कार्डिंग/वीविंग प्लान्टों का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत जनपद पिथौरागढ हेतु **रू0 7.00 लाख**, जनपद उत्तरकाशी हेतु **रू0 1.50 लाख** तथा जनपद चमोली हेतु **रू0 3.00 लाख** अर्थात् **कुल धनराशि रू0 11.50 लाख (रू0 ग्यारह लाख पचास हजार मात्र)** व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि धनराशि के व्यय की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्याः 515/XXVII(1)/2009, दिनांक 28 जुलाई 2009 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघन होता हो, व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांकः 31.03.2010 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि का मदवार विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2010 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण शासन को प्रत्येक माह प्रेषित किया जायेगा।

5– धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ये जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत हो और जिला योजना में अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जनपदवार परिव्यय के अनुरूप ही हो।

6— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009—10 के अनुदान संख्या—31 लेखाशीर्षक 2851—ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00—आयोजनागत, 103—हथकरघा उद्योग, 03—कार्डिंग/वीनिंग प्लान्टों का सुदृढीकरण—00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई 2009 के प्रस्तर—7 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1762/VII-2-09/100—उद्योग/03 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3 निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4 निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
7 प्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक, पिथौरागढ/उत्तरकाशी/चमोली।
8. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
9 अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
10 निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
12 वित्त अनुभाग—2
13. गार्ड—फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

PLAN-2009-10-31